Modes of Acquisition of Objects in a Museum

संग्रहालय में पुरातात्विक सामग्रियों को उपलब्ध कराने के विभिन्न तरीके

Navin Kumar

Professor

Dept. of A.I.H.& Archaeology,
Patna University, Patna-800005

P.G./ M.A. thIV Semester ,

Dept. of A.I.H. & Archaeology. Patna University

Paper- Museology (E.C.)

संग्रहालय एक ऐसी संस्था है जिसमें पुरातात्विक सामग्रियों को संग्रहित करके रखा जाता है तथा उसे प्रदर्शित किया जाता है। इन सामग्रियों को किस प्रकार उपलब्ध किया जाता था, यह जानने के पूर्व यह जानना आवश्यक है कि ये सामग्रियॉ क्या है। पुरातात्विक सामग्रियॉ विभिन्न प्रकार की होती है। मूर्तियाँ, जो पत्थर अथवा धातु की होती है। मिट्टी की मूर्तियाँ तथा प्राचीन मृदभाण्डों के नमूने भी संग्रहालय में रखे जाते हैं। कभी कभी कलात्मक वास्तुशिल्प के नमूनों को भी संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाता है, विशेषकर तब जबकि मूल स्थान में भवन नष्ट हो गया हो। उनके बचे हुए टुकड़े संग्रहालयों में सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि जिज्ञासु उन्हें देखकर अपना ज्ञानबर्द्धन कर सकें। भरहुत स्तूप के तोरणों के अवशेष अब भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता में प्रदर्शित है। कला की अन्य सामग्रियॉ जैसे मनके, आभूषण आदि भी संग्रहालय में रखे जाते हैं।

संग्रहालयों में चित्रकला के नमूनों को भी रखा जाता है। प्राचीन पांडुलिपियों तथा दान पात्र तथा छोटे छोटे पत्थरखंडों पर उत्कीर्ण लेख भी सुरक्षित रखे जाते हैं। इनके अतिरिक्त सिक्कों का भी संकलन किया जाता

है। प्राचीन हथियार, औजार, कपड़े आदि के नमूने भी संग्रहालय में रखे जाते हैं।

जहॉ तक संग्रहालयों में इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने का प्रश्न है, पहले यह जानना आवश्यक है कि संग्रहालय की स्थापना कैसे होती है। संग्रहालय की स्थापना केवल सरकार का ही विशेषाधिकार नहीं है बल्कि यह कहा जाता है कि भारत के कई महत्वपूर्ण संग्रहालय विभिन्न व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के प्रयासों का परिणाम है। एसियाटिक सोसायटी आफ बंगाल ने कलकता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना की जो अब राष्ट्रीय सम्पति है। इसी प्रकार हैदराबाद का सालारजंग संग्रहालय वहॉ के नबावों की सम्पति थी और संसार के नायब वस्तुओं का संकलन इस संग्रहालय में हुआ है। अतः विभिन्न संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा सारे देश में अनेक संग्रहालय स्थापित हुए जिनमें से अधिकांश का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। हमारे प्राचीन अवशेष राष्ट्रीय सम्पति है। इनकी सुरक्षा एवं इनके विषय में लोगों को ज्ञान देना सरकार की जिम्मेदारी है।

कुछ संग्रहालय इस प्रकार के हैं जिसमें केवल अपने देश की ही नहीं विदेशों की भी दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है। कुछ संग्रहालय केवल भारत में पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों का ही प्रदर्शन करते हैं। इधर भारत सरकार ने संग्रहालयों की स्थापना तथा शिक्षा के क्षेत्र में उसकी उपयोगिता पर जोर दिया है। देश के कोने कोने से संग्रहालय खोलने की आवश्यकता पर बल दिया गया हैं बिहार में जिला स्तर पर सरकार की ओर से संग्रहालय स्थापित किए गए हैं।

भारत में वस्तुतः तीन राष्ट्रीय संग्रहालय है– राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता और सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद। ये मुख्यतः सरकारी खर्चें पर चलते हैं। इसमें देश के विभिन्न भागों की वस्तुएॅ

हैं इसलिए इनका चरित्र राष्ट्रीय है। कुछ ऐसे नगरों में संग्रहालय है जिनके प्रति सैलानियों का आकर्षण रहता है जैसे मथुरा, बनारस, इलाहाबाद में संग्रहालय है जिनमें प्रस्तर मूर्तियॉ, मिट्टी की मूतियॉ आदि संग्रहित है। मुंबई का प्रिंस आफ वेल्स म्युजियम का संग्रह किसी भी राष्ट्रीय संग्रहालय के स्तर का है। तमिलनाडु में स्टेट म्युजियम ऑफ चेन्नई, दक्षिण भारतीय प्रस्तर मूर्तियों, कॉसे की मूर्तियों, सिक्कों, प्रागैतिहासिक सामग्रियों, नृतात्तिक वस्तुओं, जीव एवं वनस्पति के नमूनों आदि का विलक्षण संग्रह है। प्रायः सभी राज्यों में एक या एक अधिक अच्छे संग्रहालय है। भुवनेश्वर, पटना, लखनऊ, चण्डीगढ़, बड़ौदा, नागपुर, बंगलोर, त्रिवेन्द्रम, भोपाल और गोहाटी के संग्रहालयों में पुरातात्विक अवशेषों का अच्छा संग्रह है। इन राज्यस्तरीय संग्रहालयों के अतिरिक्त स्थानीय संग्रहालय भी है, जो स्थान विशेष कि सामग्रियों का संग्रह कर इसका उचित प्रदर्शन करता है।

अतः जहॉ तक इन संग्रहालयों के लिए पुरावशेषों को उपलब्ध कराने का प्रश्न है कई ढंग से सामग्रियाँ संग्रहालयों में आती है। निजी संग्रहालय, जो किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी संस्था विशेष के प्रयासों का प्रतिफल होता है इनमें संग्रहित वस्तुऍ भी संस्थापकों द्वारा विभिन्न तरीकों से उपलब्ध की जाती है। जैसे सालारजंग संग्रहालय में हैदराबाद के नबाबों ने अपने धन से क्रय करके संसार के अजीवो–गरीब वस्तुओं को संग्रहित किया है। अतः खरीद कर संग्रहालयों में वस्तुऍ रखी जाती थी। ऐसी खरीददारी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के अतिरिक्त सरकार भी करती है। जिन लोगों के पास दुर्लभ वस्तुऍ अथवा पुरातात्विक अवशेष रहता है और वे उसे अपने पास नहीं रखना चाहते, उचित मूल्य पर संग्रहालयों को बेच देते हैं। सरकारी संग्रहालय भी मूर्तियॉ, चित्र, सिक्के आदि खरीदते हैं। इन चीजों को बेचने वाले व्यापारी होते है जों स्वयं विभिन्न तरीकों से इसे संग्रहित करते हैं।

संग्रहालय में वस्तुएँ लोगों द्वारा भेंट भी किए जाते हैं। बहुत से लोगों को प्राचीन सिक्के, मूर्तियॉ, लेख अथवा अन्य पुरातात्विक महत्व की वस्तुएँ अनायस मिल जाती है अथवा उनके घरों में ये वस्तुएँ पहले से होती है। जब वे उसके महत्व को समझते हैं और अपने लिए उनकी अनुपयोगिता तथा समाज के लिए उपयोगिता का अनुभव करते हैं तो वे उन वस्तुओं को किसी संग्रहालय को दे देते हैं ताकि उनका अध्ययन हो सके और लोग उसे देखकर लाभ उठा सके। वैसे भी अगर वे अपने पास रखना चाहें तो कानून के अन्तर्गत इसे सरकारी कार्यालय में पंजीकृत करवाना पड़ेगा।

पुरातात्विक उत्खननों से जो सामग्री प्रकाश में आते हैं उन्हें संग्रहालय में रखा जाता है ताकि लोग उस स्थान विशेष के उत्खनित सामग्रियों से परिचय प्राप्त कर सकें। वैशाली, नालन्दा, नागार्जुनीकोंडा, बोधगया, सारनाथ, सॉची आदि स्थित पुरातात्विक संग्रहालय इसी प्रकार के संग्रहालय हैं।

अतः विभिन्न माध्यमों से संग्रहालय में सामग्रियाँ आती है, जिनमें मुख्य तरीका है खरीदकर वस्तुएँ लाना, व्यक्तियों से भेंट के रूप में वस्तुएँ स्वीकार करना तथा सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा प्रदत्त उत्खनित सामग्री पाना। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि उत्साही व्यक्तियों द्वारा पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं को संकलित कर संग्रहालय स्थापित करना। इधर हाल में सरकार ने अनेक संग्रहालय खोले हैं परन्तु पहले गिने चुने सरकारी संग्रहालय थे। अधिकांश संग्रहालय उत्साही व्यक्तियों की देन ही है जिसमें स्वेच्छा से लोगों ने वस्तुएँ भेंट की।